न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 149/2022

1. दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम नालपुर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
2. होशियार सिंह पुत्र श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम नालपुर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं हाल निवासी गोल्डन सिटी, गुढा रोड, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——आवेदक

बनाम

1. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम नालपुर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
2. रामोतार पुत्र श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम नालपुर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदक

— — —

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अ0धा0 235 आर0टी0 एक्ट 1955 बाबत दावा संख्या 35/2021 उनवानी पृथ्वी सिंह बनाम दुर्गा प्रसाद वगैरह न्याालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी, आगामी तारीख पेशी 09.05.2022

— — —

उपस्थित:—

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, अभिभाषक— आवेदकगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट— अप्रार्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री सन्दीप बिजारणिया, एडवोकेट— अप्रार्थसी सं0 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 01.09.2022

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न है दावा उनवानी पृथ्वी सिंह बनाम दुर्गा प्रसाद वगैरह दावा संख्या 35/2021 आ0 तारीख पेशी दिनांक 09.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी की अदालत मे लम्बित है। उपरोक्त उनवानी दावा दिनांक 05.03.2021 को दर्ज रजिस्टर हुआ। दावा में दिनांक 030.11.2021 को आगामी तारीख पेशी 21.03.2022 नियत रही। वादी की ओर से साधारण प्रशासनिक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का दिनांक 28.01.2022 को पीठासीन अधिकारी के यहां प्रस्तुत हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई हेतु आगामी पेशी 21 मार्च 2022 से पहले की पेशी नियत की गई। दावा मे दिनांक 01.02.2022 को प्रकरण मे नियत की गई। दिनांक 01.02.2022 को प्रकरण मे कार्यवाही विवरण अंकित किया गया कि प्रतिवादी सं0 1 से 5 के नोटिस सम्यक रूप से तामिल होकर पत्रावली पर उपलब्ध है। मिसल वास्ते अग्रिम कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादीगण पूर्व नियत दिनांक 21.03.2022 की तारीख पेशी नियत की जाकर अदालत [illegible] शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र की कार्यवाही समाप्त की गई। है। अदालत मातहत की [illegible] 2.2022 से पूर्व की पेशी मे कहीं भी समन तनवाना जारी करने का कोई अंकन नहीं है। दिनांक [illegible].2022 को वादी के प्रार्थना [illegible] पर शीघ्र सुनवाई के लिए पत्रावली सिगा से बिना मिसल तलबी [illegible] पेश किये तलब की जाकर प्रतिवादीगण की सम्यक रूप से तामिल मानी जाकर अग्रिम कार्यवाही विरूद्व प्रतिवादी किये जाने का आदेश दिया जाना प्रकरण मे अनावेदक सं0 1 की ओर से मनमर्जी से प्रकरण मे सुनवाई करवाये जाने व अदालत मातहत द्वारा सुनवाई किये जाने के तथ्यों की ताईद करता है। दावा मे दिनांक 21.03.2022 को अदालत मातहत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

समक्ष प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश द्वारा अण्डरटेकिंग दिये जाने पर प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यववाही किये जाने का आदेश पारित नही किया जा सका। अधिवक्ता जयप्रकाश आवेदकगण व अनावेदक सं0 1 के मध्य पूर्व मे विचाराधीन प्रकरण अ0धा0 251क मे आवेदकगण का अधिवक्ता रहने से दिनांक 21.03.2022 को अदालत मातहत हाजा मे अधिवक्ता जयप्रकाश के उपस्थित होने के समय अधिवक्ता को उक्त प्रकरण की जानकारी हुई व अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा मे एकतरफा कार्यवाही होकर होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आवेदक सं0 1 से फोन पर वार्तालाप कर व प्रकरण की सूचना देकर दावे मे उपस्थिति दर्ज करवाई गई अन्यथ दिनांक 21.03.2022 को एकपक्षीय रूप से अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दावे का एकपक्षीय निर्णय किया जा सकता था। वाद पत्र के सलंग्न सम्मन की तारीख पेशी मे कांट छांट व तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट मे किस तारीख को कितने बजे तामिल करवाने के लिए उपस्थित होने के तथ्य सम्मन पर अंकित नही है। तामिल कुनिन्दा मात्र हस्ताक्षर करना जानता है तो सूरत मे तामिली नोटिस की पुश्त पर रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा द्वारा किससे करवाई गई, उक्त तथ्य का भी कोई अंकन नही है। इस प्रकार तामिली प्रक्रिया से भी पूर्णतया साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा विहित प्रक्रिया की अवहेलना कर प्रतिवादीगण की तामिल सम्यक रूप से होना मानकर अग्रिम कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है तथा वादी द्वारा दिनांक 01.02.2022 को व आगामी तारीख पेशी 21.03.2022 के बाद नियत पेशी 21.04.2022 से पूर्व दो बार शीघ्र सुनवाई के औपचारिक प्रार्थना पत्र दावा मे प्रस्तुत किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र मे अतिआवश्यकता का विवरण दर्ज नही होने के बावजूद व मौजूदा वाद पत्र मे स्थगन की कार्यवाही के संबंध मे भी कोई कार्यवाही लम्बित नही होने के बावजूद अदालत हाजा द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा मे पूर्व मे नियत तारीख पेशियों से पहले की तारीख पेशियां प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सूचित करवाये बिना दावा मे तारीख पेशी नियत कर दावा मे प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 की गैर हाजिरी का आदेश पारित कर वादी के मनमुताबिक दावा का एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित किये जाने की हर संभव कोशिश की गई है जो अदालत हाजा के पीठासीन अधिकारी द्वारा वादी के बेजा प्रभाव मे किया गया कृत्य है। आवेदक सं0 1 ने सिंघाना मे इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम कर रखा है जिस पर प्रातः 7 से रात्रि 8 बजे तक आवेदक सं0 1 सिंघाना ही रहता है। उक्त समय प्रातः 7 से रात्रि 8 बजे के दौरान आवेदक का गांव मे उपस्थित होना व नोटिस लेने से इंकार करना किसी भी प्रकार से संभव व स्वीकार्य तथ्य नही है तथा आवेदक सं0 2 काफी वर्षो से स्थाई रूप से कस्बा झुंझुनूं मे निवासरत है जिस कारण आवेदक सं0 2 द्वारा भी घर पर उपस्थित होकर नोटिस लिये जाने से इन्कार किये जाने का तथ्य किसी भी सूरत मे संभव नही है। आवेदक सं0 1 द्वारा अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी को दिनांक 21.03.2022 को दावा मे प्रस्तुत गलत तामिल रिपोर्ट को निरस्त करने तामिल बाबत की गई गलत कार्यवाही के लिए अलग से कार्यवाही किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत मातहत द्वारा आवेदक सं0 1 के द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली नही किया गया व ना ही गलत तामिल प्रस्तुत कर[illegible] मे कोई कार्यवाही की गई। मौजूदा दावे के वादी पृथ्वी सिंह की पुत्री सुनिता पत्नि रवि [illegible] नारनौल हरियाणा वर्तमान मे पटवार हल्का ठाठवाडी मे पटवारी के पद पर कार्यरत है जिसका पद[illegible] वर्तमान मे रेवेन्यू बतौर पटवारी होने से विभाग के अधिकार व कर्मचारियों से अच्छी पहचान होने से मौजूदा वाद पत्र मे वादी द्वारा स्वयं की पुत्री का पटवारी पद उपखण्ड खेतडी मे कार्यरत होने का नाजायज फायदा उठाकर पीठासीन अधिकारी से गलत रूप से विहित व विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के मनमुताबिक निर्णय करवाये जाने की ऐलानियां धमकियां कई बार दी जा चुकी है। अनावेदक सं0 1 द्वारा दी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:53 IST
Reason: SelfAttested

धमकियों व वादी की पुत्री का पटवारी पद पर उपखण्ड खेतडी मे पटवारी पद पर पद्स्थापित होने से मौजूदा दावा मे अदालत मातहत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से आवेकगण को पूर्णतः विश्वास हो गया है कि मौजूदा वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के यहां विचाराधीन रहा तो आवेदकगण को न्याय प्राप्त नही होगा। इस कारण आवेदकगण की ओर से मौजूदा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः दरख्वास्त स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी पृथ्वी सिंह बनाम दुर्गा प्रसाद वगैरह दावा संख्या 35/2021 आ0 तारीख पेशी 09.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी खेतडी/बुहाना की अदालत से अन्य सक्षम अदालत मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे जिससे आवेदकगण को उचित न्याय मिल सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी खेतडी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी खेतडी ने पत्रांक 806 दिनांक 24.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 2 मे दावा खाता विभाजन दिनांक 05.03.2021 को दर्ज होना स्वीकार है। दिनांक 05.03.2021 को दावा दायरी के वक्त ही न्यायालय हाजा की आदेशिका मे **आज यह वाद पत्र वादी की ओर से श्री हेमराज सिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया, बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलबाना पर जरिये सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10.03.2021 को पेश हो।** स्पष्ट अंकन है। शेषांश तथ्य जिस भांति दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 3 गलत होने से अस्वीकार है। न्यायालय हाजा मे विचाराधीन वाद संख्या 35/2021 उनवानी पृथ्वी सिंह बनाम दुर्गा प्रसाद आदि मे उक्त प्रार्थीगण प्रतिवादी सं0 1 व 3 है। दिनांक 21.03.2022 को उक्त वाद मे प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की ओर से पैरवी हेतु श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट ने न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग दी थी शेष प्रतिवादी सं0 4 व 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा उक्त दावा के दर्ज होने से आदिनांक विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की गई है। प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 4 जिस भांति दर्ज है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 5 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 7 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। उक्त बिन्दू मे तथाकथित बातें मनगढन्त, बनावटी, निराधार व सत्यता से परे है। पीठासीन अधिकारी द्वारा संविधान की मर्यादा मे रहते हुए प्रकरण मे न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही न्यायिक कार्यवाहियां सम्पादित की गई है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 8 व 9 कानूनी है। अतः बिन्दूवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद संख्या 35/2021 उनवानी पृथ्वी सिंह बनाम दुर्गा प्रसाद आदि को माननीय न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न है दावा उनवानी पृथ्वी सिंह बनाम दुर्गा प्रसाद वगैरह दावा संख्या 35/2021 आ0 तारीख पेशी दिनांक 09.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी की अदालत मे लम्बित है। उपरोक्त उनवा[illegible]दिनांक 05.03.2021 को दर्ज रजिस्टर हुआ। दावा में दिनांक 030.11.2021 को आ[illegible]रही। वादी की ओर से साधारण प्रशासनिक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का दिनांक 28.[illegible].2022 को पीठासीन अधिकारी के यहां प्रस्तुत हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने [illegible] सुनवाई हेतु आगामी पेशी 21 मार्च 2022 से पहले की पेशी नियत की गई। दावा मे दिनांक 01.02.2022 को प्रकरण मे नियत की गई। दिनांक 01.02.2022 को प्रकरण मे कार्यवाही विवरण अंकित किया गया कि प्रतिवादी सं0 1 से 5 के नोटिस सम्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रूप से तामिल होकर पत्रावली पर उपलब्ध है। मिसल वास्ते अग्रिम कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण पूर्व नियत दिनांक 21.03.2022 की तारीख पेशी नियत की जाकर अदालत हाजा मे शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र की कार्यवाही समाप्त की गई। है। अदालत मातहत की आदेशिका मे दिनांक 01.02.2022 से पूर्व की पेशी मे कहीं भी समन तनवाना जारी करने का कोई अंकन नही है। दिनांक 01.02.2022 को वादी के प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई के लिए पत्रावली सिगा से बिना मिसल तलबी प्रार्थना पत्र पेश किये तलब की जाकर प्रतिवादीगण की सम्यक रूप से तामिल मानी जाकर अग्रिम कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी किये जाने का आदेश दिया जाना प्रकरण मे अनावेदक सं0 1 की ओर से मनमर्जी से प्रकरण मे सुनवाई करवाये जाने व अदालत मातहत द्वारा सुनवाई किये जाने के तथ्यों की ताईद करता है। दावा मे दिनांक 21.03.2022 को अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश द्वारा अण्डरटेकिंग दिये जाने पर प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यववाही किये जाने का आदेश पारित नही किया जा सका। वाद पत्र के सलंग्न सम्मन की तारीख पेशी मे कांट छांट व तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट मे किस तारीख को कितने बजे तामिल करवाने के लिए उपस्थित होने के तथ्य सम्मन पर अंकित नही है। तामिल कुनिन्दा मात्र हस्ताक्षर करना जानता है। इस प्रकार तामिली प्रक्रिया से भी पूर्णतया साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा विहित प्रक्रिया की अवहेलना कर प्रतिवादीगण की तामिल सम्यक रूप से होना मानकर अग्रिम कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। आवेदक सं0 1 द्वारा अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी को दिनांक 21.03.2022 को दावा मे प्रस्तुत गलत तामिल रिपोर्ट को निरस्त करने तामिल बाबत की गई गलत कार्यवाही के लिए अलग से कार्यवाही किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत मातहत द्वारा आवेदक सं0 1 के द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली नही किया गया व ना ही गलत तामिल प्रस्तुत करने के संबंध मे कोई कार्यवाही की गई। मौजूदा दावे के वादी पृथ्वी सिंह की पुत्री सुनिता पत्नि रवि हाल निवासी नारनौल हरियाणा वर्तमान मे पटवार हल्का ठाठवाडी मे पटवारी के पद पर कार्यरत है जिसका पद्स्थापन वर्तमान मे रेवेन्यू बतौर पटवारी होने से विभाग के अधिकार व कर्मचारियों से अच्छी पहचान होने से मौजूदा वाद पत्र मे वादी द्वारा स्वयं की पुत्री का पटवारी पद उपखण्ड खेतडी मे कार्यरत होने का नाजायज फायदा उठाकर पीठासीन अधिकारी से गलत रूप से विहित व विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के मनमुताबिक निर्णय करवाये जाने की ऐलानियां धमकियां कई बार दी जा चुकी है। अनावेदक सं0 1 द्वारा दी गई धमकियों व वादी की पुत्री का पटवारी पद पर उपखण्ड खेतडी मे पटवारी पद पर पद्स्थापित होने से मौजूदा दावा मे अदालत मातहत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से आवेकगण को पूर्णतः विश्वास हो गया है कि मौजूदा वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के यहां विचाराधीन रहा तो आवेदकगण को न्याय प्राप्त नही होगा। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी पृथ्वी सिंह बनाम दुर्गा प्रसाद वगैरह दावा संख्या 35/2021 आ0 तारीख पेशी 09.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी खेतडी/बुहाना की अदालत से अन्य सक्षम अदालत मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे जिससे आवेदकगण को उचित न्याय मिल सके।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने वकील प्रार्थी के कथनों [illegible] वि[illegible] करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण मे नियमानुसार सुनवाई की जा रही [illegible] अदालत मातहत द्वारा सुनवाई मे किसी प्रकार का कोई पक्षपात या भेदभाव नही [illegible] फिर भी अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी को न्यायालय प्रक्रिया का पालन करते हुए [illegible] सम्यक रूप से सुना जाकर निर्णय करने के निर्देश दिये जा सकते है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

42

वकील अप्रार्थी सं0 2 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोघ करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण मे नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थी सं0 2 अदालत मातहत द्वारा की जा रही सुनवाई से सन्तुष्ट है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, खेतडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उनवानी पृथ्वी सिंह बनाम दुर्गा प्रसाद आदि वाद संख्या 35/2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, खेतडी उनवानी पृथ्वी सिंह बनाम दुर्गा प्रसाद आदि वाद संख्या 35/2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा के न्यायालय में दिनांक 15.09.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:53 IST
Reason: SelfAttested